राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 294/2025

अशोक कुमार मीणा –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, दौसा।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, पापडदा, नांगल राजावतान जिला दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.01.2025
आदेश की दिनांक : 06.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की आरे से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्षः– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–1 के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, पापडदा, नांगल राजावतान, दौसा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.12.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष घोषित कर वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजवास, सिकराय, ब्लॉक सिकन्दरा, दौसा में काउंसलिंग किए बिना और साथ ही पास के रिक्त पद को दर्शाए बिना समायोजन कर दिया गया। पूर्व में अपीलार्थी का आदेश दिनांक 07.12.2024 द्वारा स्थानान्तरण महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पापरदा, नांगल राजावतान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिदरखा, रामगढ़, पचवारा में किया था (अनुलग्नक–2)। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–3) द्वारा शिक्षकों को अपीलार्थी की तरह अधिशेष घोषित करके उनको समायोजित के लिए निर्देश/अनुसूची जारी की है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 26.12.2024 (अनुलग्नक–4) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया नांगल राजावतान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आलूदा एवं महात्मा गांधी विद्यालय चक छारेड़ा में लेवल–1

के पद रिक्त है उसके बावजूद अपीलार्थी को अन्य ब्लॉक में स्थानान्तरण कर दिया। नांगल राजावतान ब्लॉक में लेवल–1 के रिक्त पदों की सूची अनुलग्नक–5 पर है। परिवेदना निस्तारण में अपीलार्थी का समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजवास, सिकराय, ब्लॉक सिकन्दरा, दौसा कर दिया है, जबकि अपीलार्थी के ब्लॉक के विद्यालय में अध्यापक लेवल–1 के पद रिक्त है। अपीलार्थी का समायोजन परिवेदना के पश्चात भी नियम विरूद्ध हुआ है। अपीलार्थी के ब्लॉक नांगल राजावतान में शाला दपर्ण के अनुसार महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, प्यारावास, गोठड़ा और शालावास एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आलूदा में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–1 के पद रिक्त है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विभाग के दिशा–निर्देश दिनांक 14.11.2024 के बिन्दु संख्या 15 के अनुसार उसी विद्यालय में पद रिक्त होने पर, उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त होने पर, उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त नहीं होने पर, उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में पद रिक्त होने पर, ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं होने पर, उसी ब्लॉक में स्थित अन्य विद्यालय में रिक्त पद पर एवं सम्बन्धित ब्लॉक में पद रिक्त नहीं होने पर, अन्य ब्लॉक के विद्यालय में रिक्त पद पर यथासम्भव निकट के ब्लॉक के विद्यालय में, के अनुसार अपीलार्थी का समायोजन किया जाना था लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने दिशा–निर्देशों के विरूद्ध अपीलार्थी के ब्लॉक नांगल राजावतान में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–1 के पद रिक्त होने के बावजूद भी अपीलार्थी का समायोजन दूसरे ब्लॉक में कर दिया गया, जो विधि विरूद्ध है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.12.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्य करने दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.06.2019 (अनुलग्नक आर–1) के द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में अध्यापक–लेवल–1 के पाँच (5) पद स्वीकृत / अनुमत किये गये है। अपीलार्थी के पूर्व पदस्थापन स्थान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पापडदा, नांगल राजावतान, जिला दौसा में अध्यापक लेवल 1 के पाँच (5) चयनित कार्मिक वर्तमान में कार्यरत है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.05.2023 को उक्त महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से हिन्दी माध्यम के विद्यालय में प्रत्यावर्तन हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था (अनुलग्नक आर–2)। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 05.05.2023 के आधार पर अपीलार्थी कार्मिक के संस्था प्रधान द्वारा आगामी चयन प्रक्रिया में अपीलार्थी के पद को रिक्त प्रदर्शित किया गया एवं विभाग द्वारा अन्य

चयनित अभ्यर्थी को उक्त विद्यालय में पदस्थापन प्रदान किया गया तथा ऐसी स्थिति में अपीलार्थी कार्मिक उक्त महात्मा गांधी विद्यालय में अधिशेष हुआ तथा प्रत्यर्थीगण द्वारा कार्मिक को उक्त प्रत्यावर्तन के कारण ही अधिशेष घोषित किया गया है (अनुलग्नक आर–3)। अपीलार्थी कार्मिक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावर्तन प्रार्थना पत्र को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.12.2024 (प्रदर्श–2) के द्वारा उपलब्ध रिक्त पद के अनुसार महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पापडदा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिदरखा ब्लॉक रामगढ़ पचवारा (हिन्दी माध्यम विद्यालय) में पदस्थापित किया गया था। अपीलार्थी कार्मिक द्वारा प्रत्यावर्तन प्रार्थना पर के आधार पर अपीलार्थी कार्मिक को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में पदस्थापित किया जाना संभव नहीं था तथा एक अन्य विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आलूदा के सन्दर्भ में माननीय अधिकरण के समक्ष वर्णित किया जाना उचित होगा कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आलूदा, नांगल राजावतान को पूर्व में राज्य सरकार के आदेशानुसार महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किया गया था परन्तु एक ग्राम पंचायत में दो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रूपान्तरित हो जाने के कारण निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश दिनांक 10.04.2023 (अनुलग्नक आर–5) द्वारा उक्त विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में रूपान्तरित किये जाने के आदेश को निरस्त किया गया तथा उक्त विद्यालय वर्तमान में हिन्दी माध्यम विद्यालय के रूप में ही संचालित है परन्तु पूर्व में राज्य सरकार द्वारा वर्णित विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपान्तरित किये जाने के कारण शाला दर्पण पोर्टल तथा आईएफएमएस पोर्टल पर उक्त विद्यालय के पदों का सृजन महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के अनुसार कर दिया गया जिससे उक्त विद्यालय में पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हो रहे है परन्तु वास्तव में उक्त पद रिक्त नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाने योग्य है।

हमने प्रत्यर्थी विभाग एवं अपीलार्थी को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.12.20214 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को उसकी परिवेदना निस्तारित कर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, पापडदा, नांगल राजावतान, दौसा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजवास, सिकराय, ब्लॉक सिकन्दरा, दौसा में समायोजन किया गया। अपीलार्थी का मुख्य कथन यह है कि ब्लॉक नांगल राजावतान में लेवल एक का पद रिक्त होने के बावजूद उसे अन्य ब्लॉक में समायोजित किया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिक्त पदों की सूची में नांगल राजावतान ब्लॉक में आलूदा के अलावा सभी विद्यालय, जहां पद रिक्त दर्शित है अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है। अपीलार्थी ने अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से हिन्दी

माध्यम विद्यालय में प्रत्यावर्तन आवेदन के दृष्टिगत इनमें पदस्थापन संभव नहीं है। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार आलूदा को पहले अंग्रेजी माध्यम विद्यालय घोषित कर पद सृजित किए परन्तु एक ही पंचायत में दो विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में रूपान्तरित होने से आलूदा को पुनः हिन्दी विद्यालय घोषित किया। परन्तु शाला दर्पण पोर्टल पर रिक्त पद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अनुसार प्रदर्शित हो रहा है, जबकि आलूदा में पद रिक्त नहीं है। विभागीय निर्देशों के अनुसार ब्लॉक में पद रिक्त नहीं होने की दशा में निकट के ब्लॉक में समायोजन किया जाना है। नांगल राजावतान ब्लॉक में अध्यापक ग्रेड–III लेवल एक का कोई पद रिक्त नहीं होने से अपीलार्थी का निकट के ब्लॉक में रिक्त पद पर समायोजन पूर्णतः निर्देशों के अनुरूप है, जिसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य